न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 61/2020 अपील/बांसवाडा (GCMS 2020/00065)
पंजीयन दिनांक– 22.09.2020
निर्णय दिनांक– 23.11.2020

1. श्री याकुब खां पिता श्री अजीज खां मुसलमान, निवासी जिनिंग फेक्ट्री के सामने वाली बस्ती बडौदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री अयुब खां पिता श्री अजीज खां मुसलमान, निवासी जिनिंग फेक्ट्री के सामने वाली बस्ती बडौदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाडा (राज.)
3. श्री अयुब खां पिता श्री अजीज खां मुसलमान, निवासी जिनिंग फेक्ट्री के सामने वाली बस्ती बडौदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाडा (राज.)

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती विमला देवी अग्रवाल पत्नि श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल, निवासी बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार, बागीदौरा, जिला बांसवाडा. (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :

श्री एस. पी. व्यास/श्री जयेन्द्र पुरोहित : अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री आलोक जैन : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
राजकीय अभिभाषक : रेस्पोडेंटस संख्या–2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा के प्रकरण संख्या 06/2019
निर्णय दिनांक 31.01.2020

निर्णय

दिनांक–23.11.2020

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा जिला बांसवाडा के प्रकरण संख्या 06/2019 निर्णय दिनांक 31.01.2020 के विरूद्ध दिनांक 21.09.2020 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी एवं आदेश 41 नियम 2 सी.पी.सी., प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र बाबत अपील अवधि समाहित करने एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 41 नियम 27 सी.पी.सी. बाबत दस्तावेज पेश करने के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या–2 अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दो अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जिसमें इस प्रकरण के प्रार्थना पत्र 06/2019 में रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने यह अभिवचन किया कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त ग्राम बडौदिया तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाडा स्थित जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 की खाता संख्या 217 का आराजी सर्वे नम्बर 2611/742 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, सर्वे नम्बर 745 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, सर्वे नम्बर 746 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा, सर्वे नम्बर 747 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा कुल खेत 4, कुल रकबा 12 बीघा 2.5 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने जरिये विक्रय पत्र से श्री नारायणलाल पुत्र श्री दुर्गाशंकर ब्राम्ह्ण निवासी करजी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाडा से पंजीकृत के द्वारा क्रय की है जिसका नामांतरकरण संख्या 915 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पक्ष में इन्द्राज किया गया। इसी प्रकार खता संख्या 392 का आराजी सर्वे नम्बर 749 रकबा 1 बीघा, श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि श्री देवकृष्ण ब्राम्ह्ण निवासी करजी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाडा से जरिये विक्रय पत्र क्रय किया है। जिसका नामांतरकरण संख्या 914 रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पक्ष में इन्द्राज किया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के द्वारा आदेश क्रमांक 317–319 दिनांक 30.01.1995 के द्वारा कृषि से अकृषि में संपरिवर्तित करवाई गई। जिसका नामांतरकरण

संख्या 163 दिनांक 23.03.1996 रेस्पोडेंट/प्रार्थी के नाम दर्ज कर दिया। दौराने सेटलमेंट विभाग द्वारा आराजीयात नम्बरों के नये आराजी नम्बर बनाये गये। जो सर्वे नम्बर 2631/3081 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 2632 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 2629/3080 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 2633/3271 रकबा 0.10 हैक्टेयर एवं 2634/3411 रकबा 0.02 हैक्टेयर कायम किए गए। उक्त आवासीय भूमि का सेटलमेंट विभाग के नियमानुसार नये सर्वे नम्बर बनाकर रेकार्ड में सहवन से श्री सरकार आबादी दर्ज किया गया जबकि श्री सरकार आबादी के साथ रेस्पोडेंट/प्रार्थी का नाम लिखा जाना आवश्यक है। जिसके लिए रेकार्ड की शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने उपरोक्तानुसार शुद्धिकरण के अनुतोष की मांग की। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेंट संख्या–2 ने जवाब प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अभिकथन प्रस्तुत किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 31.01.2020 को रेस्पोडेंट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त निर्णय भूमि रेस्पोडेंट/प्रार्थी के नाम दर्ज करने एवं इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान किए तथा उक्त निर्णय में एक अन्य प्रकरण संख्या 7/2019 का निस्तारण कर इसी निर्णय में श्री सरकार गैर मु. आबादी भूमि कर शेष कृषि भूमि रेस्पोडेंट/प्रार्थी के नाम आबादी में दर्ज करने के आदेश भी प्रदान कर दिए। उक्त निर्णय से अपीलांट्स विधितः प्रभावित हुए है क्योंकि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में वाद उपखण्ड न्यायालय बागीदौरा, जिला बांसवाडा में विचाराधीन है, परन्तु रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना एक पक्षीय कार्यवाही कराकर उक्त निर्णय पारित किया है। जिससे अपीलांट्स पीडित होकर एवं अप्रसन्न असंतुष्ट एवं व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.01.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया *"हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, तहसीलदार, बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न मौका जांच पर्चा रिपोर्ट एवं आबदी में संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 317–19 दिनाांक 30.01.1995 उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ एवं आदेश क्रमांक 29 दिनांक 29.01.1996 तहसीलदार, बागीदौरा द्वारा पारित किये गये जिनका ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने अवलोकन पाया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थीया के साबिक आराजीयात भूमि जो की प्रार्थीया के नाम आबदी में*

दर्ज रेकार्ड थी, उसे दौराने सेटेलमेंट की कार्यवाही नये नम्बर बनाते हुए हाल आराजी नम्बर 2631/3081 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 2632 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 2629/3080 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 2633/3271 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 2634/3411 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि श्री सरकार गै. मू. आबादी में दर्ज रेकार्ड कर दिया गया। प्रार्थीया की खाते की भूमि को आबादी में संपरिवर्तन किये जाने के पश्चात सेटलमेंट विभाग को पूर्व के इन्द्राज में फेरबदल करने का कोई हक/अधिकार प्राप्त नहीं होने से वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में दृष्टांत आर.आर.डी. 1981 पेज सं. 485, आर.आर.टी 2018 (2) पेज सं. 1158 एवं आर.आर.डी. पेज सं. 341 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सेटलमेंट विभाग को पूर्व के इन्द्राज में किसी भी प्रकार का फेरबदल करने का कोई कानूनी हक नहीं है। सेटलमेंट विभाग द्वारा कि गई त्रुटियों को सुधारने/दूरस्त करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी का ही है। इन दृष्टांतों में उपखण्ड अधिकारी द्वारा सेटलमेंट विभाग की त्रुटियों का सुधार किया जाना सही माना गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या से चाही गई दादरसी अनुसार शुद्धि के आदेश फरमावें। राजकीय पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार, बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही बहस मानते हुए प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निवेदन किया गया है। लिहाजा प्रार्थीया के उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाना न्याय संगत होगा। तथा साथ ही यह भी आदेश दिया कि ग्राम बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया की आराजी नम्बर 2631/3081 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 2632 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 2629/3080 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 2633/3271 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 2634/3411 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 0.59 हैक्टेयर भूमि को श्री सरकार गै. मु. भूमि जो सेटलमेंट विभाग द्वारा वक्त बन्दोबस्त उक्त आराजी संपरिवर्तित भूमि को आबादी में प्रार्थीया के नाम दर्ज नहीं कर सेवन से श्री सरकार गै.मु. आबादी भूमि दर्ज राजस्व रेकार्ड कर दी गई थी, जिसे दुरस्त किये जाने के आदेश पारित करते हुए तहसीलदार, बागीदौरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया, तहसीलदार, बागीदौरा की आराजी नम्बर 2631/3081 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 2632 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 2629/3080 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 2633/3271 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 2634/3411 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 0.59

हैक्टेयर भूमि को राजस्व रेकार्ड में श्री सरकार गै.मु. आबादी भूमि कम कर उक्त सर्वे नम्बरान की भूमि आराजी नम्बर 2631/3081 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 2632 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 2629/3080 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 2633/3271 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 2634/3411 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 0.59 हैक्टेयर पुनः पूर्व खातेदार श्रीमती विमला देवी अग्रवाल धर्मपत्नि श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल, निवासी बांसवाडा के नाम आबादी गै.मु. में दर्ज रेकार्ड की जावें।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. व्यास उपस्थित व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक जैन उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या–2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उभय पक्षों की बहस दिनांक 03.11.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुने बिना रेस्पोडेंट संख्या–1 के केवल प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुनवाई कर उक्त निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विररित होकर काबिल निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट संख्या–1 के द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि के संबंध में शुद्धिकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र से पूर्व इसी भूमि के संबंध में श्री सुभाषचन्द्र पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल के द्वारा सर्वे नम्बर 2634 रकबा 0.01 हैक्टेयर वाके ग्राम बडौदिया के लिए धारा 188, 209 आ.टी.ए. के तहत वाद प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलांट्स के द्वारा प्रतिवाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 209 आ.टी.ए. के तहत प्रस्तुत कर साबिक सर्वे नम्बर 749 रकबा 1 बीघा किस्म नाला के हॉल सर्वे 2633 रकबा 0.12 हैक्टेयर, सर्वे नम्बर 2634 रकबा 0.01 हैक्टेयर, सर्वे नम्बर 2633/3271 रकबा 0.10 हैक्टेयर, सर्वे नम्बर 2635 रकबा 0.03. हैक्टेयर, सर्वे नम्बर 2638/3272 रकबा 0.4 हैक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 2634/3411 रकबा 0.02 हैक्टेयर वाके ग्राम बडौदिया को किस्म नाला घोषित करने एवं राजस्व अभिलेख में उक्त नाला दर्ज करने

के लिए वाद प्रस्तुत किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। जिसका ज्ञान रेस्पोडेंट संख्या–1 को भी भली–भाति हैं। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों के छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उपरोक्त शुद्धिकरण विधि विरूद्ध करवाया है। प्रार्थना पत्र में साबित सर्वे नम्बर 749 रकबा 1 बीघा जिसके हाल सर्वे नम्बर 2633/3271 एवं सर्वे नम्बर 2634/3411 जो किस्म नाला है जिसका मूल रकबा 1 बीघा है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अवैध रूप से 405 वर्ग मीटर को आबादी में संपरिवर्तित करवा दी। जबकि उक्त भूमि की किस्म नाला होने के कारण आवासीय भूमि में संपरिवर्तन कानूनन नहीं हो सकती है। इसी के संबंध में अपीलांट ने सर्वे नम्बर 749 रकबा 1 बीघा को अवैध रूप से दौराने सेटलमेंट रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अपने खाते में दर्ज करवा ली, जो उक्त सर्वे नम्बर 749 मुख्य सडक दाहोद–बांसवाडा से लगता हुआ होकर नाले के पश्चिम दिशा में स्थित जंगल व पहाड का पानी उक्त नाले से गुजरता हुआ मुख्य नाला सर्वे नम्बर 745 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा में मिलता है। उक्त सर्वे नम्बर 749 के पूर्व दिशा में सर्वे नम्बर 745 का मुख्य नाला है। पश्चिम दिशा में मुख्य सडक बांसवाडा–दाहोद रोड़, उत्तर दिशा में अपीलांट की भूमि सर्वे नम्बर 750 व मकान तथा दक्षिण दिशा में सर्वे नम्बर 747 व 748 की भूमि स्थित है। रेस्पोडेंट संख्या–1 ने सर्वे नम्बर 749 की भूमि का कुछ हिस्सा श्री सुभाषचन्द्र उसके पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल के नाम अवैध रूप से दर्ज करवा दी है। नाले की भूमि सर्वे नम्बर 749 रकबा 1 बीघा को रेस्पोडेंट संख्या–1 ने श्रीमती सरस्वती से क्रय करना बताया है जो उक्त भूमि को श्रीमती सरस्वती के द्वारा विक्रय नहीं किया जा सकता था क्योंकि उक्त भूमि किस्म नाला होने के कारण श्रीमती सरस्वती के नाम भी अवैध रूप से दर्ज हुई है। उसी प्रकार सर्वे नम्बर 745 रकबा 0 बीघा 05 बिस्वा किस्म नाला को रेस्पोडेंट संख्या–1 के द्वारा श्री नारायणलाल से क्रय करना बताया है जबकि उक्त भूमि किस्म नाला होने के कारण उक्त विक्रेता श्री नारायणलाल के खाते में विधि विरूद्ध दर्ज हुई है और रेस्पोडेंट संख्या–1 के नाम उक्त विक्रयपत्र के आधार पर दर्ज नामांतरकरण संख्या 914 व 915 विधितः प्रभावशून्य होकर निरस्तनीय है। उक्त नामांतरकरण के आधार पर दर्ज पश्चातवर्ती समस्त इन्द्राज विधितः निरस्तनीय है जिनके आधार पर रेस्पोडेंट संख्या–1 को कोई हित व स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। साबिक सर्वे

नम्बर 745 के हाल सर्वे नम्बर 2629/3080, 2631/3081, 2639, 2640, 2641/3082, 2640/3083 व 2631 कायम किए गए है। इसी प्रकार सर्वे नम्बर 749 के हाल सर्वे नम्बर 2633, 2634, 2633/3271, 2635, 2638/3272 एवं 2634/3411 को राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त नाले की भूमि पर अतिक्रमण करने की नियत से उपरोक्त भूमि को अपने खाते में दर्ज करवा दी और उसी भूमि के संबंध में अपीलांट्स के द्वारा पुनः नाला घोषित कराने एवं राजस्व अभिलेख में शुद्धिकरण के लिए प्रतिवाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में में पेश किया है जो विचाराधीन है। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों को छुपाकर यह प्रार्थना पत्र शुद्धिकरण के लिए प्रस्तुत कर नाले की भूमि को अपने खाते में दर्ज करवा ली है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की जांच नही करवाई गई और न ही राजस्व अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जबकि राजस्व अभिलेख एवं वादग्रस्त भूमि से संबंधित दस्तावेज से यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि किस्म नाला है जिसका संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता हैं और नहीं खातेदारी में दर्ज हो सकती है और रेस्पोडेंट संख्या–1 को नाले की भूमि में किसी प्रकार के स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते है। रेस्पोडेंट संख्या–1 एवं उसके पुत्र श्री सुभाषचन्द्र के द्वारा नाले की भूमि पर अतिक्रमण करने की नियत से अवैध निर्माण कार्य करने को उतारू हो गये है जिसके लिए अपीलांट्स पुलिस थाना, जिला कलक्टर एवं संबंधित विभाग में कई बार प्रार्थना पत्र दिए परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई और उक्त नाले की भूमि को पाटकर उसको समतल कर पहाडों से आने वाले बारिश के पानी को अवरूद्ध कर रहा है। जिससे अपीलांट को नाले की भूमि से लगी हुई भूमि सर्वे नम्बर 750 रकबा 05 बिस्वा व अन्य कृषि भूम को नुकसान पहूंचा रही है और रेस्पोडेंट संख्या–1 व उसका पुत्र श्री सुभाषचन्द्र उपरोक्त नाले की भूमि को अतिक्रमण करते हुए अपीलांट की भूमि सर्वे नम्बर 750 पर अतिक्रमण करना चाहते है। जिसको रेस्पोडेंट संख्या–1 का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलांट उक्त निर्णय से पीडित होने के करण यह अपील पेश कर रहे है तथा पृथक से प्रार्थना पत्र अंतर्गता धारा 96 सी.पी.सी का पेश करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण द्वारा झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। उक्त

प्रकरण में वर्णित आराजीयात 2631/3081 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 2632 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 2629/3080 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 2633/3271 रकबा 0.10 हैक्टेयर एवं 2634/3411 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि के शुद्धिकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, क्योंकि उक्त भूमि में विपक्षी का नाम सेटलमेंट पूर्व दर्ज था जो दौराने सेटलमेंट में सेवन से श्री सरकार गै.मू. आबादी दर्ज कर दिया गया। इस कारण तथाकथित प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसका अपीलांट से कोई वास्ता नहीं है। अपीलांट्स का कहना है कि उक्त भूमि से संबंधित एक वाद चल रहा है। गलत व झूठे कथन है, जिस वाद की अपीलांट बात कर रहा है वो तो सुभाषचन्द्र द्वारा आराजी नम्बर 2634 रकबा 0.01 हैक्टेयर के संबंध में अपीलांट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का किया हुआ व अपीलांट द्वारा उसके विरूद्ध आराजी नम्बर 750 की घोषणा का बाद किया गया है जिसमे रेस्पोडेंट का कोई संबंध नहीं है न ही अपीलांट्स द्वारा किये गये वाद में रेस्पोडेंट पक्षकार है। जहॉ तक वर्णित आराजीयात का सवाल है वो रेस्पोडेंट की भूमि है। अपीलांट उक्त भूमि को नाले की बताकर भूमि के संबंध में कोई वाद पेश करना कह रहा है जबकि रेस्पोडेंट उस वाद में पक्षकार नहीं है तथा न ही अपीलांट्स को ऐसा कोई दावा लाने का अधिकार है। अपीलांट्स व्यथीत व्यक्ति नहीं है रेस्पोडेंट की भूमि से उसका कोई संबंध नहीं है व रेस्पोडेंट को ब्लैकमेल कर पैसा लेने की गरज से यह झूठी कार्यवाही की गई है। इस कारण प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट्स का यह कहना कि रेस्पोडेंट द्वारा अीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छुपाकर शुद्धिकरण करया है, गलत बेबुनियाद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड देख कानून के अनुसार निर्णय किया है जिसमें अपीलांट्स को आपत्ति करने या अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। श्री सुभाषचन्द्र पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल द्वारा जो वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा में पेश किया है, उसके खातेदारी की भूमि का है जिसका श्रीमती विमला देवी अग्रवाल का धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के आवेदन की संपति से कोई संबंध नहीं है। सुभाषचन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 188 आर. टी.ए. का हैं एवं इसमें वर्तमान आवेदनकर्ता द्वारा जो भी अभिकथन या बचाव किये गये हैं वे रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में आवेदन कर्ता का कोई Local Standing नही है। प्रकरण में राजस्व रेकार्ड में शुद्धि का अवेदन है

वर्तमान राजस्व रेकार्ड में किस्म नाला होने का कोई इन्द्राज नहीं है अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु का कोई विचारण नहीं किया है तथा ना ही कोई आपत्ति थी। ऐसी स्थिति में अपील आप न्यायालय में किसी नये बिन्दु पर विचारण पोषणीय नहीं है। साबिक आराजी नम्बर 749 से अपीलांट्स का कोई संबंध नहीं है नही इसके आस पास की किसी की भूमि से अपीलांट का कोई संबंध है एवं न ही उक्त भूमि के आस पास स्थित किसी भी भूमि का अपीलांट्स खातेदार हो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का कथन किये जाने व अपने आपको व्यथित व्यक्ति बताये जाने का अपीलांट्स को विधि से कोई अधिकार नहीं है। जहां तक भूमि के संपरिवर्तन की बात है वह एक प्रक्रिया के तहत की जाती है और यदि उक्त भूमि नाले की हो तो संपरिवर्तन करने वाली एजेन्सी द्वारा कभी भी संपरिवर्तन नही करती और यदि यह मान भी लिया जाये कि संपरिवर्तन कर दिया गया गया है तो सर्वप्रथम अपीलांट्स को उक्त संपरिवर्तन आदेश की अपील करनी चाहिए थी। इस प्रकरण में तो केवल मात्र सेटलमेंट के पश्चात रेस्पोडेंट के नाम ही दर्ज होनी थी लेकिन ऐसा नहीं होने से इन्द्राज दूरस्त किये गये हैं जिसमें अपीलांट्स किसी भी प्रकार से व्यथित व्यक्ति की परिभाषा में नही आते है तथा कथित भूमि रेस्पोडेंट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है व नियमानुसार आबादी में संपरिवर्तन करवाया है व इसमें कोई खामी है तो यह रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के मध्य की बात है। अपीलांट्स को इस भूमि से कोई संबंध नहीं है इसलिए अपलांट्स व्यथित पक्षकार नहीं है। इस चरण में रेस्पोडेंट विमला देवी अग्रवाल के पूर्व विक्रेता के स्वामित्व को आपत्ति करने की अधिकारिता अपीलांट्स को नही है, इस प्रकार की आपत्ति वर्तमान में मयाद बाहर एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भी परे है। विक्रय पत्र के निरस्तीकरण सेटलमेंट की प्रविष्टी व क्रेता श्रीमती विमला देवी के स्वामित्व का विक्रय दस्तावेज को निरस्त करने की अधिकार न्यायालय को नहीं है एवं पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्राप्त खातेदारी अधिकार के नामांतरकरण को भी निरस्त करने की अधिकारिता अंतिम रूप से दिवानी न्यायालय को प्राप्त हैं। वर्णित भूमि के संबंध में यदि अपीलांट्स यह कहते है कि उसने दावा पेश कर दिया है तो उसके द्वारा प्रस्तुत वाद में उक्त भूमि के संबंध में उचित आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कर दिया जायेगा परन्तु उक्त अपील को लाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है न ही वो अधीनस्थ न्यायालय के

आदेश से व्यथित ही है क्योंकि उक्त भूमि कभी भी उसके खातेदारी या कब्जे की नहीं रही व उक्त सेटलमेंट से पहले भी रेस्पोडेंट की थी व बाद में भी रेस्पोडेंट की ही है। केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट का नाम राजस्व रेकार्ड के दौरान सेटलमेंट से हट गया था कि उसे पुनः जोडने बाबत आदेश प्रदान किया गया है। इसमें अपीलांट्स कैसे व्यथित है यह अपने प्रार्थना पत्र में कही नहीं बताया है। रेस्पोडेंट श्रीमती विमला देवी अग्रवाल ने धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अलावा अन्य कोई कार्यवाही नहीं की है, श्री सुभाषचन्द्र द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से विमला देवी का कोई संबंध नहीं है। जिससे विमला देवी द्वारा उपरोक्त तथ्यों को छुपाया नहीं गया है। इस कारण अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने व प्रस्तुत अपील अधिकारीता नहीं होने के कारण वापस लोटाये जाने योग्य है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्ध कोई वाद दायर नहीं किया है न ही उसके द्वारा प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेंट पक्षकार है न ही रेस्पोडेंट का आराजी नम्बर 750 से कोई संबंध नही एवं न ही रेस्पोडेंट आराजी नम्बर 750 पर अतिक्रमण करना चाहते है। अपीलांट्स केवल मात्र हमारी जमीन से हमें बेदखल करने के लिये व सेटलमेंट करके पैसा ऐठने की गरज से उक्त संपूर्ण कार्यवाही की गई है। रेस्पोडेंट की भूमि से अपीलांट्स का कोई संबंध नहीं है नही रेस्पोडेंट की भूमि के आस–पास उसकी कोई भूमि है वो किसी भी प्रकार से व्यथित व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आता है। उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज योग्य होकर अपील अपीलांट्स खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

राजकीय अभिभाषक द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलांट खारिज करने बाबत निवेदन किया है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था तथा उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अतएवं न्यायहित में मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। प्रकरण में हम अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के आवेदन के सन्दर्भ में उसके द्वारा पेश किये गये कुल

22 दस्तावेजात जो आवेदन दिनांक 27.09.2020 के साथ संलग्न है, उनमें से क्रम संख्या 22 के फोटोग्राफ्स को छोड़कर, क्योंकि वे इस आराजी से संबंधित हो तथा संसुगत हो, शेष समस्त दस्तावेजात को राजकीय रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि होने व प्रासांगिक होने से रेकर्ड पर रखना उचित समझते हैं, तद्नुसार अपीलाण्ट का यह आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा दस्तावेजात उपरोक्तानुसार रेकर्ड पर रखने जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

अब हम आवेदक अपीलाण्ट के दफा 96 जाब्ता दीवानी के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा दफा 96 जाब्ता दीवानी के आवेदन पर किये गये कथन, जबाब एवं रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपनी आराजी नं0 2631/2081 पुराना नम्बर 745 व 746 तथा 2631 पुराना नम्बर 726 व 2629/3080 पुराना नम्बर 2611/742 को साबिक रेकर्ड में प्रार्थी रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होने भू–प्रबन्ध के बाद उक्त भूमि को बिलानाम दर्ज कर देने के आधार पर अपना प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया था। प्रकरण में विपक्षी रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के आवेदन पर अपनी रिपोर्ट व जबाब में कमावेश इस आधार पर सहमति दी थी। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि साबिक आराजी नम्बर 745, 746 एवं 2611/742 रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज थी तथा वर्तमान आराजी नं0 2631/3081, 2632 व 2629/3080 पुरानी आराजी नं0 745, 746 एवं 2611/742 से ही बनी है अर्थात् यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती/धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिये गये आवेदन में रेकर्ड अनुसार वर्तमान में जिन आराजीयात को बिलानाम दर्ज किया गया है वे आराजीयात पूर्व में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 प्रार्थी के नाम ही दर्ज रही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भू–प्रबन्ध विभाग को बिक्री, विरासत एवं न्यायालय आदेश के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रविष्टि में संशोधन का अधिकार नहीं है अर्थात् भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व में प्रविष्टियों को ही दोहराना चाहिये। इस प्रकरण में वर्तमान में जिन आराजीयात को जो रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज थी, उन्हें बिलानाम दर्ज किये जाने का कोई तार्किक आधार भू–प्रबन्ध विभाग के रेकर्ड से स्पष्ट नहीं है तथा रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 द्वारा भी जो कि भू–स्वामी है तथा

बिलानाम भूमियों का स्वामी है, उसके द्वारा भी इस बाबत् कोई व्यक्त आपत्ति प्रकट नहीं की गयी है अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के स्कोप के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। अपीलाण्ट स्वयं को निम्न आधारों पर हितबद्ध, व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार मानता है:–

1. अपीलाण्ट यह कहता है कि साबिक आराजी नं0 745 एवं 749 की किस्म पूर्व में नाला रही है अतएवं यह भूमियां प्रार्थी रेस्पोंडेण्ट के नाम दर्ज नहीं हो सकती। अपीलाण्ट द्वारा इससे संबंधित रेकर्ड भी पेश किया गया है परन्तु यह प्रकरण सिर्फ इन्द्राज दुरूस्ती से संबंधित है। यदि उक्त भूमि पूर्व में नाला रही भी है तो उसके लिए सक्षम कार्यवाही रेफरेंस से संबंधित है। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न तो अधीनस्थ न्यायालय में इस प्रकार का कोई तथ्य विचाराधीन था, न ही इस बात पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है। जहां तक नाला किस्म पूर्व में होने व पूर्व में खातेदार के नाम दर्ज होने का प्रश्न है, यह प्रकरण रेफरेंस से संबंधित होकर रेफरेंस ही किया जाना एक मात्र विधिक उपचार है तथा वह प्रकरण जिला कलक्टर एवं राजस्व मण्डल के स्तर से निर्णय योग्य है। हम धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही के सन्दर्भ में अपीलाण्ट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं पाते। अपीलाण्ट इस हेतु पृथक से (इस प्रकरण से पूर्णतया असम्बद्ध) रेफरेंस की कार्यवाही करने को स्वतंत्र है परन्तु धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही के सन्दर्भ में हम अपीलाण्ट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं पाते।
2. अपीलाण्ट द्वारा अन्य आधार यह लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुभाषचन्द्र द्वारा उसके विरूद्ध धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसके द्वारा साबिक आराजी नं0 745 एवं 749 व उससे संबंधित वर्तमान नये नम्बरों की किस्म नाला घोषित करने के

लिए उसने वाद प्रस्तुत कर रखा है। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही समरी प्रोसेडिंग्स होती है जिसमें पूर्व प्रविष्टि एवं वर्तमान प्रविष्टि को ही ध्यान में रखकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जानी होती है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यक्त रूप से निर्णीत किया है। अपीलाण्ट का काउण्टर क्लेम से संबंधित प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर न्यायालय के निर्णय की कार्यवाही इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है तथा उस प्रकरण में वाद/काउण्टर क्लेम में जो भी निर्णय होता है वह हमेशा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम से उच्चतर होगा एवं यदि आराजी नं0 745, 746 इत्यादि नाला घोषित हो जाती है तो तद्नुसार अपीलाण्ट को उस प्रकरण में रिलीफ प्राप्त हो सकती है परन्तु धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रकरण से उसका काउण्टर क्लेम सुसंगत नहीं है एवं तद्नुसार अन्य न्यायालय प्रकरण विचाराधीन होने के आधार पर अपीलाण्ट को इस अपील में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता।

3. अपीलाण्ट आराजी नं0 750 को स्वयं की होना बताता है, जिस हेतु उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा यदि आराजी नं0 750 उसकी है भी तो आराजी नं0 750(साबिक) का इस प्रकरण से कोई सहसंबंध नहीं है तथा आराजी नं0 750 के लिए रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 प्रार्थी द्वारा कोई आवेदन भी नहीं किया गया है। नहीं वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की विषय वस्तु है। तद्नुसार अपीलाण्ट को इस आधार पर भी आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता।

उपरोक्तानुसार समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत की गयी कार्यवाही एवं आदेश से हम अपीलाण्ट को इस अपील हेतु आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं पाते हैं, अतएवं उसका दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है। अपीलाण्ट का वाद हेतुक धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही के स्कोप से पूर्णतया असम्पृक्त् है

एवं तद्नुसार अपीलाण्ट का धारा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट उपरोक्तानुसार खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जाता है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर